Positive Story of Nagpur Rural Police

दिनांक ०२.०१.२०२६

नागपुर ग्रामीण जिल्हा पोलीसांनी सन २०२५ मध्ये सन २०२४ च्या तुलनेत आरोपीवर प्रतिबंधात्मक कारवाई तसेच अवैध धंद्यावर अतुलनीय कारून कामगिरीचा आलेख उंचावला

मा.श्री हर्ष ए. पोद्दार ,पोलीस अधिक्षक नागपुर ग्रामीण जिल्हा आणि श्री अनिल म्हस्के ,अपर पोलीस अधिक्षक, नागपुर ग्रामीण जिल्हा यांनी अवैध धंदयातील गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्या असुन नागपुर ग्रामीण पोलीसांनी सन २०२५ मध्ये अवैध धंद्यांवर केलेली कारवाई सन २०२४ च्या तुलनेत अधिक प्रभावी ठरली आहे. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाया, हद्दपार, एमपीडीए, मकोका, अवैध हत्यारे, अवैध दारू, अवैध जुगार, अवैध अंमली पादार्थ आणि प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू या संबंधीच्या गुन्ह्यांवर कठोर कारवाया करण्यात आल्या आहे.

सन २०२४ मध्ये कलम १२६ भानासुसं अन्वये ५६९ प्रतिबंधात्मक कारवाया नोंदवल्या गेल्या असताना, सन २०२५ मध्ये तब्बल १४९६ कारवाया केल्या गेल्या. **(१६३ टक्कयांनी वाढ झाली)** कलम १२९ भानासुसं अन्वये १६४४ प्रतिबंधात्मक कारवाया नोंदवल्या गेल्या असताना, सन २०२५ मध्ये १९६५ कारवाया केल्या गेल्या. **(२० टक्कयांनी वाढ झाली)** तसेच नागपुर ग्रामीण जिल्हयात प्रतिबंधक कारवाई बंधपत्राचे उल्लंघन केलेले सन २०२४ मध्ये ८५ प्रकरण प्राप्त होते. १,१६००/— रूपयांचा दंड वसुल करण्यात आला. सन २०२५ मध्ये २०१ प्रकरण प्राप्त असुन आरोपीतांवर बंधपत्र उल्लंघनाबाबत कार्यवाही करून मा. अपर पोलीस अधिक्षक यांचे कोर्टातुन तब्बल २३,६६,२००/— रूपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे हद्दपार आरोपीतांची संख्या ४२ वरून १०६ वर गेली, तर एमपीडीए अंतर्गत सन २०२४ मध्ये ०६ आरोपीतांना तर सन २०२५ मध्ये २४ आरोपीतांना स्थानबध्द

करण्यात आले आहे. सन २०२५ मध्ये संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्यां आरोपीतांच्या **७ टोळयांमधील एकुण ४३ आरोपींवर** महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम सन १९९९ (MCOCA) अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.

अवैध अंमली पदार्थ सेवन,तस्करी तसेच विक्री करणाऱ्यांवर सन २०२४ मध्ये एनडीपीएस कायदयान्वये ७५ गुन्हे तर सन २०२५ मध्ये तब्बल ८६२ गुन्हयांची नोंद करण्यात आली आहे. सन २०२४ मध्ये मपोका १२२ चे ८० गुन्हे तर मपोका १२४ चे ०६ गुन्हे नोंदविले होते. सन २०२५ मध्ये मपोका १२२ चे ९० गुन्हे तर मपोका १२४ चे ४४ गुन्हे नोंदविले होते. सन २०२४ मध्ये प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू/गुटखा बाबत ३८ गुन्हे नोंद असुन सन २०२५ मध्ये ४७ गुन्हे नोंद करण्यात आले असुन **२ कोटी ४१ लाखांचा मुद्देमाल** जप्त करण्यात आला. **(गुन्हे दाखल २७ टक्कयांनी वाढ)**. सन २०२४ मध्ये अवैध अग्नि शस्त्रांबाबत १९ गुन्हे नोंद असुन सन २०२५ मध्ये २१ गुन्हयांची नोंद करून १७ माउजर, ८ देशी कट्टे , ३ एअर गन आणि ५७ काडतुसे जप्त करण्यत आले. सन २०२४ मध्ये अवैध दारू बाबत ४,३३१ गुन्हे दाखल तर सन २०२५ मध्ये ४,७१२ गुन्हे दाखल असुन **४ कोटी १५ लाखांचा मुद्देमाल** जप्त करण्यात आला.**(गुन्हे दाखल ९ टक्कयांनी वाढ).** सन २०२४ अवैध जुगार खेळणाऱ्या २०३२ आरोपींवर कारवाई केली सन २०२५ मध्ये २१७८ आरोपींवर कारवाई करून **३ कोटी ५५ लाखांचा** मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

TheHitavada
Nagpur City Line | 2026-01-03 | Page- 2
ehitavada.com

28 firearms, 862 NDPS cases; Rs 7.7 cr seized

Rural Police crack down hard on crime in 2025

■ **Staff Reporter**

WITH the seizure of 28 illegal fire-arms and 57 cartridges, registration of 4,712 liquor cases, and a sharp rise to 862 NDPS cases, the Nagpur Rural Police delivered one of their toughest crackdowns on crime in 2025. Alongwith this, preventive action was taken against 2,178 accused involved in illegal activities. Large-scale operations against crime and unlawful businesses led to seizures worth Rs 7.7 crore by the police during the year.

Preventive action against 1,496

ACCORDING to official records, preventive action under Section 126 of the BNSS increased sharply from 569 cases in 2024 to 1,496 cases in 2025 which marked a 163 per cent rise. Preventive actions under Section 129 BNSS also increased from 1,644 cases to 1,965 cases. Violations of preventive bonds rose from 85 cases in 2024 to 201 cases in 2025, and fines recovered through courts jumped from Rs 11,600 to Rs 23,66,200.

The number of externed accused increased from 42 to 106, while detentions under the MPDA Act rose from 6 in 2024 to 24 in 2025. Under the MCOCA, action was taken against 43 accused from seven organised crime gangs in 2025.

28 firearms, 57 cartridges seized

CASES related to illegal firearms increased from 19 in 2024 to 21 in 2025. During these actions, police seized 17 Mauser pistols, 8 country-made pistols, 3 air guns, and 57 cartridges. Action against illegal liquor also rose from 4,331 cases in 2024 to 4,712 cases in 2025, showing a 9 percent increase, with liquor and property worth Rs 4.15 crore seized.

In illegal gambling cases, action was taken against 2,032 accused in 2024, while in 2025 the number rose to 2,178, and property worth Rs. 3.55 crore was seized. Action under the NDPS Act saw a massive rise, with cases increasing from 75 in 2024 to 862 in 2025.

Action to continue: SP Dr Poddar

SP DR Harssh Poddar stated that such action will continue in the future. He appealed citizens to cooperate with the police and report any suspicious or illegal activities to help maintain law and order in the district.

Powered by Bharati Web

RNI NO UPBIL05084 राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

04 जनवरी रविवार 01

वर्ष 05 अंक 307

मूल्य 3.50 ,04 जनवरी रविवार 2026

मुख्य आवाज

पृष्ठ 08

अपराधियों के लिए 'दहशत' का दूसरा नाम बने नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के; साल २०२५ में दर्ज की ऐतिहासिक कामयाबी

दैनिक मुख्य आवाज

नागपुर जिला रिपोर्टर — सूर्यकांत तळशंडेनागपुर ग्रामीण पुलिस बल के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व और अत्यंत प्रभावशाली अध्याय जोड़ते हुए पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के की जुगलबंदी ने वर्ष २०२५ को अपराधियों के लिए काल साबित कर दिया है। जिले की कमान संभालते हुए इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने न केवल कानून-व्यवस्था को अभेद्य बनाया है, बल्कि अपनी जोखाज टीम के साथ मिलकर सफलता का ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया है जिससे आज नागपुर ग्रामीण में माफिया और शातिर अपराधी सिर उठाने से भी थर-थर कांप रहे हैं। हर्ष ए. पोद्दार के रणनीतिक कौशल, अनिल म्हस्के के कठोर क्रियान्वयन और स्थानीय पुलिस थानों से लेकर अपराध शाखा तक के अधिकारियों व समस्त पुलिस कर्मियों के सामूहिक परिश्रम के चलते नागपुर ग्रामीण पुलिस ने वर्ष २०२४ के मुकाबले २०२५ में वह ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है, जो जिले के पुलिस इतिहास में एक नए कीर्तिमान के रूप में दर्ज की जाएगी। इन दोनों अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में जिले के समस्त पुलिस दस्ते ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि नागपुर ग्रामीण की धरती पर अब केवल कानून का शासन चलेगा और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के के संयुक्त नेतृत्व में इस वर्ष प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों के क्षेत्र में जो बड़ी सफलता मिली है, वह शासन और प्रशासन के लिए गर्व का विषय है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा १२६ के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों में १६३ प्रतिशत की विशाल और चकित कर देने वाली वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष २०२४ में जहां ५६९ अपराधियों पर लगाम कसी गई थी, वहीं २०२५ में हर्ष पोद्दार और अनिल म्हस्के की टीम की मुस्तैदी के कारण यह संख्या बढ़कर १४९६ तक जा पहुंची है। इसी प्रकार धारा १२९ के तहत भी कार्यवाहियों में २० प्रतिशत का इजाफा करते हुए पिछले वर्ष की १६४४ कार्यवाहियों की तुलना में इस वर्ष कुल १९६५ मामले दर्ज किए गए हैं। जिले के समस्त थाना प्रभारियों और उनकी विशेष पुलिस टीमों ने न केवल अपराधियों को पकड़ा, बल्कि कानून का उल्लंघन करने वालों के आर्थिक तंत्र पर भी भीषण प्रहार किया है। पुलिस ने उन ८५ प्रकरणों के मुकाबले इस वर्ष २०१ ऐसे मामले पकड़े जिनमें अपराधियों ने शांति बनाए रखने के अनुबंध का उल्लंघन किया था, जिसके फलस्वरूप अपर पुलिस अधीक्षक के न्यायालय के माध्यम से अपराधियों से २३ लाख ६६ हजार २०० रुपये का भारी जुर्माना वसूल किया गया, जो पिछले वर्ष के १ लाख १६ हजार रुपये की तुलना में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिले के संगठित अपराध जगत और शातिर गुंडों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के ने मकोका और एमपीडीए जैसे कड़े कानूनों का ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग किया है। इस वर्ष जिले की ७ खतरनाक अपराधी टोलियों के कुल ४३ कुख्यात सदस्यों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कठोर कार्रवाई कर उन्हें जेल की काल कोठरी के पीछे भेज दिया गया है। साथ ही २४ ऐसे शातिर अपराधियों को एमपीडीए के अंतर्गत जेल में स्थानबद्ध किया गया है, जो आम जनता की शांति के लिए निरंतर गंभीर खतरा बने हुए थे, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या मात्र ६ थी। हर्ष पोद्दार और अनिल म्हस्के की इस दबंग कार्यशैली और उनके अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के अटूट समर्पण का ही सुखद परिणाम है कि जिलाबदल किए

गए अपराधियों की संख्या ४२ से बढ़ाकर १०६ कर दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित वातावरण बना रहे। नशे के सौदागरों के खिलाफ तो पूरी पुलिस टीम ने निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है, जिसमें एनडीपीएस कानून के तहत पिछले साल के मात्र ७५ मामलों के मुकाबले इस साल ८६२ मामले दर्ज कर नशे के नेटवर्क को पूरी तरह ज़मींदोज कर दिया गया है। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा १२२ के तहत ८० के मुकाबले ९० मामले और धारा १२४ के तहत ६ के मुकाबले ४४ मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। अवैध हथियारों और प्रतिबंधित कारोबार के खिलाफ भी ग्रामीण पुलिस के विभिन्न विशेष दस्तों का डंडा पूरी ताकत से चला है। पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के के सटीक मार्गदर्शन और स्थानीय जांच टीमों की निरंतर सतर्कता के कारण जिले भर में की गई सघन छापेमारी के दौरान पिछले वर्ष के १९ मामलों के मुकाबले इस वर्ष २१ मामले दर्ज कर १७ माउजर, ८ देशी कट्टे, ३ एयर गन और ५७ कारतूस बरामद कर बड़ी आपराधिक साजिशों को समय रहते पूरी तरह विफल कर दिया गया है। अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध ४७१२ मामले दर्ज कर ४ करोड़ १५ लाख रुपये की अवैध सामग्री जब्त की गई है, जिसमें पिछले वर्ष के ४३३१ मामलों की तुलना में ९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और गुटखा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले वर्ष के ३८ मामलों की तुलना में इस वर्ष २७ प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ४७ मामले दर्ज किए गए और २ करोड़ ४१ लाख रुपये की अवैध जब्त सामग्री पकड़ी गई है। जुआ माफियाओं पर भी पुलिस ने कड़ा प्रहार करते हुए पिछले वर्ष के २०३२ आरोपियों के मुकाबले इस वर्ष २१७८ आरोपियों को गिरफ्तार किया और ३ करोड़ ५५ लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के और उनकी पूरी समर्पित टीम की इस सामूहिक और ऐतिहासिक उपलब्धि ने जिले के नागरिकों में खाकी के प्रति अटूट विश्वास पैदा किया है और अपराधियों के मन में ऐसी स्थायी दहशत भर दी है जो भविष्य में अपराधों पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी।